



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 मई 2015 ज्येष्ठ 8, शके 1937

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### CHANGE OF NAME

I, DAMODAR PRASAD SONI, here by Declare that I have change my name as DAMODAR SONI so, from now and in future. I will be known by my new name.

Old Name :

( DAMODAR PRASAD SONI )

New Name :

( DAMODAR SONI )

Add—123, Deendayalpuram, L.I.G

Khandwa (M.P.).

(74-B.)

#### नाम परिवर्तन

मैं, अपने पुत्र प्रियंक शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र शर्मा जो कि शांतिनगर कॉलोनी, छतरपुर मध्यप्रदेश का निवासी हूँ तथा कक्षा 12वीं मरिया माता कान्वेन्ट इंग्लिश स्कूल का नियमित छात्र है. का नाम बदलकर नया नाम अभिजीत शर्मा कराना चाहता हूँ. जिसका प्रकाशन मैं समाचार-पत्र के माध्यम से कराता हूँ एवं सभी को सूचित करता हूँ. सभी सूचित हो कि मेरे पुत्र को अब अभिजीत शर्मा के नाम से जाना जाए एवं डाक व्यवहार, पत्राचार इसी नाम से किया जाए.

सूचनाकर्ता

राजेन्द्र शर्मा

( एडवोकेट )

शांतिनगर कॉलोनी, छतरपुर ( म.प्र. ).

(89-बी.)

#### नाम परिवर्तन

मुझे मेरे पक्षकार नरेन्द्र बामोरिया, आयु 49 साल पुत्र श्री प्रेम नारायण व्यवसाय मेडिकल प्रेक्टिसनर, निवासी चर्च के पास बरेठ रोड, गंजबासौदा, जिला विदिशा मध्यप्रदेश ने सार्वजनिक विज्ञप्ति निम्न आशय की प्रकाशित किये जाने अधिकृत किया है कि मेरे पक्षकार का पूर्व से नाम नरेन्द्र कुमार शर्मा चला आ रहा है तथा मेरे पक्षकार द्वारा अपना नाम बदलकर नरेन्द्र कुमार शर्मा के स्थान पर नरेन्द्र बामोरिया कर लिया गया है तथा भविष्य में मेरा पक्षकार उसकी पत्नि व संतानें इसी प्रकार से अपना सरनेम बामोरिया से जानी जावेंगी एवं आवश्यकता होने पर मेरे पक्षकार व उसके परिवार द्वारा मेरे पक्षकार के नाम का उल्लेख नरेन्द्र बामोरिया के नाम से किया जावेगा एवं मेरे पक्षकार द्वारा एवं उसके परिवार के द्वारा उपरोक्तानुसार

नाम परिवर्तित व्यक्तिगत, सार्वजनिक, शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों एवं अन्य कहीं जहां भी आवश्यकता होगी नये नाम व सरनेम से विवरण दिया जावेगा तथा विवरण ग्रहण किया जावेगा. अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार मेरे पक्षकार व उसके परिवार के साथ उपरोक्तानुसार परिवर्तित विवरण से संव्यवहार करें. विधिक आवश्यकता पूर्ति हेतु यह विज्ञप्ति दो समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति की जा रही है.

भवदीय

**मुकेशसिंह रघुवंशी**

(एडवोकेट)

गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.).

(95-बी.)

### नाम परिवर्तन

मैं, शपथ पूर्वक सूचित करती हूँ कि मेरे पुत्र प्रदीप सिंह कुशवाह के स्कूल के दस्तावेजों में मेरा नाम बृजबाला (BRAJBALA) अंकित हो गया है जो कि गलत है. मेरा सही नाम बृगबाला (BRAGBALA) है. अतः भविष्य में यही नाम लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( बृजबाला )

नया नाम :

( बृगबाला )

एस-248/249, शताब्दीपुरम एस ब्लॉक,  
ग्वालियर (म.प्र.).

(96-बी.)

### CHANGE OF NAME

I, the undersigned TUSHAR SINHA (New Name) called TUSHAR (Old name) resident HIG-HB-20, Dhanwantari Nagar, Near Medical College, Thana-Garha, Jabalpur (M.P.).

Solely declare that :-

I Wholly renounce and abandon the use of my former name of TUSHAR and in place thereof I do hereby assume from this date the name of TUSHAR SINHA and so, that I may hereafter be called, known and distinguished not by my former name, but assumed name of.

Old Name :

( TUSHAR )

New Name :

( TUSHAR SINHA )

HIG-HB-20, Dhanwantari Nagar  
Near Medical College,  
Thana-Garha, Jabalpur (M.P.).

(97-B.)

### CHANGE OF NAME

I, Rushda Waseem Khan (Old Name Ravil Gupta), Daughter of Dr. Ravindranath Gupta, Resident of 12, Astha Parisar, Near Madan Mahal Station, Behind Galaxy Hotel, Madan Mahal Jabalpur M.P. 482001 do hereby inform that my name was registered as Rushda Waseem Khan in service records and few education cetificates by virtue of my marriage Post-divorce (on 18-06-2012) I have adopted my former name Ravil Gupta. Now I will be known as Ravil Gupta only.

Old Name :

( RUSHDA WASEEM KHAN )

New Name :

( RAVIL GUPTA )

D/o Dr. Ravindranath Gupta.

(98-B.)

### नाम परिवर्तन

मैं, कैलाश कुमार पाठक आत्मज स्व. श्री रामनाथ पाठक, कार्यालय एच. पी. पा. मै. कं. लि. जबलपुर में भृत्य के पद पर कार्यरत, निवासी 185, रामपुर, आजाद चौक, जबलपुर अब तक कैलाश कुमार के नाम से जाना जाता था. अब अपना उपनाम पाठक अपने नाम के साथ जोड़कर कैलाश कुमार पाठक जाना जावे. भविष्य में मेरे समस्त रिकार्ड में कैलाश कुमार पाठक के नाम से लिखा एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम :

( कैलाश कुमार )

नया नाम :

( कैलाश कुमार पाठक )

(99-बी.)

**नाम परिवर्तन**

मैं, Geetanjali Raikwar, उम्र 36 वर्ष पति श्री Vinay Kumar Raikwar, निवासी-खण्डेलवाल फर्नीचर मॉल के सामने, करमचंद चौक, जयप्रकाश नारायण वार्ड, जबलपुर शपथ पूर्वक निम्न कथन करती हूँ कि मैं इंस्पेक्टर ऑफ बायलर ग्रेड-1, हाथीताल कॉलोनी में स्टेनो पद पर कार्यरत हूँ। यह कि मैं अपने नाम के साथ अपना उपनाम भी जुड़वाना चाहती हूँ और अपने नाम गीतांजली की स्पेलिंग में परिवर्तन किया है इस प्रकार मैंने अपना नाम Geitanjali Cyma Raikwar पति Mr. Vinay Kumar Raikwar कर लिया है और मैं अपना यह नया नाम अपने सर्विस रिकार्ड में संशोधित कराना चाहती हूँ। अतः मेरा नया नाम Geitanjali Cyma Raikwar सभी सर्विस रिकार्डों में पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम :

( GEETANJALI RAIKWAR )

(100-B.)

नया नाम :

( GEITANJALI CYMA RAIKWAR )

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स खैरा एण्ड संस भरहुत नगर सतना में श्री सूर्यपाल सिंह तनयू स्व. श्री कर्नल रामपाल सिंह, उम्र 73 वर्ष मुकाम गोपाल गढ़ अमहिया को चौथे भागीदार के तहत् दिनांक 22 अगस्त, 2009 से सम्मिलित किया जाता है।

मैसर्स खैरा एण्ड संस

संदीपन खैरा,

प्रबंध संचालक.

(90-बी.)

**जाहिर सूचना**

यह है कि भागीदारी फर्म मै. सरवन सिंह यादव, पता 351, तानसेन नगर, ग्वालियर 474001 (म.प्र.) है जिसका रजिस्ट्रेशन नं. ARG/18, दिनांक 15-06-2001 है जिसमें भागीदार श्री सरवन सिंह यादव पुत्र श्री भरत सिंह यादव एवं श्री बलराम सिंह यादव पुत्र श्री भरत सिंह यादव एवं श्री अजय सिंह यादव पुत्र श्री सरवन सिंह यादव, निवासी तमेश्वर महादेव मंदिर के पास, लोहा मण्डी, ग्वालियर (म.प्र.) है। दिनांक 01-04-2015 को श्री बलबीर सिंह यादव पुत्र श्री भगवान सिंह यादव, श्री शंकर सिंह यादव पुत्र श्री भगवान सिंह यादव, निवासी 02, न्यू कांच मिल, पंजाब वाली गली, बिरला नगर, ग्वालियर म.प्र. एवं श्री नारायण सिंह यादव पुत्र श्री सरवन सिंह यादव, निवासी 351, तानसेन नगर, ग्वालियर (म.प्र.) एडमिट हुये। अतः वर्तमान भागीदार फर्म मै. सरवन सिंह यादव के भागीदार श्री सरवन सिंह यादव पुत्र श्री भरत सिंह यादव, श्री बलराम सिंह यादव पुत्र श्री भरत सिंह यादव, श्री अजय सिंह यादव पुत्र श्री सरवन सिंह यादव, निवासी तमेश्वर महादेव मंदिर के पास, लोहा मण्डी, ग्वालियर (म.प्र.) श्री बलबीर सिंह यादव पुत्र श्री भगवान सिंह यादव, श्री शंकर सिंह यादव पुत्र श्री भगवान सिंह यादव, निवासी 02, न्यू कांच मिल, पंजाब वाली गली, बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.) एवं श्री नारायण सिंह यादव पुत्र श्री सरवन सिंह यादव, निवासी 351, तानसेन नगर, ग्वालियर (म.प्र.) है। अतः किसी भी भागीदार व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति फर्म के रजिस्टर पते पर दस दिन के अन्दर लिखित या मौखिक दर्ज कराये।

भवदीय

मैसर्स सरवन सिंह यादव

सरवन सिंह यादव,

(भागीदार).

(91-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स मिश्रा इंटरप्राइजेस स्थित पता डी-1, साईनाथ कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) में स्थित है एवं दिनांक 13-05-2015 को भागीदार (1) श्री उमेश मिश्रा पुत्र श्री ओ. पी. मिश्रा, पता-डी.एच.बी.-2/219, दानिश हिल्स, कोलार रोड, भोपाल (2) विनोद मिश्रा पिता श्री आर. पी. मिश्रा, निवासी-78, महाबली नगर, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से भागीदारी से उक्त फर्म से पृथक् (अलग) हो रहे हैं। सर्वजन एवं आमजन को सूचित हो।

फर्म-मैसर्स मिश्रा इंटरप्राइजेस,

अंचल अग्रवाल,

(भागीदार)

13/सी, आनन्द ग्लोवल प्लेटिनम,

उपभोक्ता फोरम के सामने डी-1,

साईनाथ कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल.

(92-बी.)

**NOTICE****NOTIFICATION UNDER SECTION 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given for public information that Shri Harsh Goyal S/o. Shri Surendra Goyal has been admitted to partnership business of the firm named M/s Surendra Pulses, Khasra No. 329/2, Patwari Halka No.26, Palda, Udhoygnagar, Indore (M.P.) as partner vide regn No. 03/27/03/00158/13, Dated 11-07-2013 year 2013-14 as from 01-04-2015 and the constitution of the firm stands altered accordingly.

For: M/s. Surendra Pulses,  
**SURENDRA GOYAL,**  
(Partner).

(93-B.)

**NOTICE****NOTIFICATION UNDER SECTION 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given for public information that Shri Vinod Kumar Kukreja S/o Shri Narayandas Kukreja and Shri Dev Kumar Kukreja S/o Shri Kanhaiyalal Kukreja Have been admitted as partners in the partnership business of the firm named M/s Sheetal Industries, 29, Udhoygnagar, Indore (M.P.) vide regn No. 214, Dated 14-06-1989 year 1989-90 as from 01-02-2015 and the constitution of the firm stands altered accordingly.

For: M/s Sheetal Industries,  
**NANDKISHORE KUKREJA,**  
(Partner).

(94-B.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स सपन एग्रो प्रोडक्ट जिसका पता-13, 14 और 15 रिछाई इंडस्ट्रीयल एरिया जबलपुर एवं पंजीयन क्रमांक 04/14/01/00294/14, सन् 2013-14, दिनांक 27 मार्च, 2014 पंजीयन फर्म है, में से दिनांक 01-10-2014 को भागीदार सपन रघुवंशी पुत्र श्री शिव कुमार रघुवंशी, निवासी 409 B, विजय नगर गढ़ा रोड, जबलपुर मध्यप्रदेश अपनी स्वेच्छा पूर्वक फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं दिनांक 21-10-2014 को श्री मोहक अग्रवाल पुत्र मुकेश कुमार अग्रवाल, निवासी 373, नेपियर टाउन, जबलपुर मध्यप्रदेश अपनी स्वेच्छा पूर्वक फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं इसी दिनांक 21-10-2014 को राहुल विश्णोई पुत्र श्री अभय विश्णोई, निवासी 36, नयागांव सोसाईटी जबलपुर, फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं एवं दिनांक 01-11-2014 को कुमारी तनुश्री विश्णोई पुत्री श्री अभय विश्णोई, निवासी 36, नयागांव सोसाईटी जबलपुर मध्यप्रदेश भी नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गयी हैं एवं दिनांक 01-12-2014 को श्री मुकेश अग्रवाल पुत्र शंकर लाल अग्रवाल, निवासी 373, नेपियर टाउन, जबलपुर मध्यप्रदेश अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

फर्म: सपन एग्रो प्रोडक्ट

**राहुल विश्णोई,**

(भागीदार)

पता-13, 14 और 15 रिछाई,

इंडस्ट्रीयल एरिया, जबलपुर.

(101-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स अम्बे इन्टरप्राइजेज जिसका पुराना पता-352, उपरेन्जगंज, दिक्षितपुरा, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 04/14/01/00168/07, सन् 2006-07, दिनांक 16-03-2007 पंजीकृत फर्म है, में से दिनांक 26-03-2015 को भागीदार वैणी शंकर उपाध्याय पुत्र श्री वैघनाथ उपाध्याय, निवासी वार्ड नं. 05 सिहोरा, तहसील जबलपुर मध्यप्रदेश, श्री लखन घनघोरिया पुत्र शिवलाल घनघोरिया, निवासी 349, खटीक मोहल्ला सराफा वार्ड, जबलपुर मध्यप्रदेश एवं श्री हरिप्रकाश गुप्ता पुत्र गणेश प्रसाद नौगरहिया, निवासी झंडा बाजार सिहोरा, तहसील जबलपुर मध्यप्रदेश अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं दिनांक 27-03-2015 को अनिरूध विश्णोई पुत्र श्री अजय विश्णोई, निवासी 36, नयागांव सोसाईटी जबलपुर मध्यप्रदेश नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं तथा दिनांक 27-03-2015 से फर्म का नया पता अनुश्री होटल नौदरापुल, जबलपुर हो गया है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

फर्म: अम्बे इन्टरप्राइजेज,

**राजेश मिश्रा,**

(भागीदार)

पता-अनुश्री होटल, नौदरापुल, जबलपुर.

(102-बी.)

## जाहिर सूचना

मेसर्स अलीना इन्टरप्राइजेस के सम्बन्ध में भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अन्तर्गत

सर्व-साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि मेरी पक्षकार फर्म एक पंजीकृत फर्म है, जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00153/12, सन् 2012-13 है। फर्म का पंजीकृत कार्यालय 65, आशियाना, कोलूखेड़ी, पोस्ट भौरी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल होकर जिसके गठन के समय उसके भागीदार मोहम्मद रफीक मेवाती पुत्र मोहम्मद अजीज मेवाती, निवासी मेवाती आशियाना, कोलूखेड़ी, भोपाल एवं श्री संतोष कुमार दामनिया पुत्र श्री चम्पालाल दामनिया, निवासी ग्राम भौरी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल थे तथा मेरी पक्षकार फर्म द्वारा दिनांक 06-12-2014 को श्रीमति अफरोज मेवाती पत्नि श्री मो. हनीफ मेवाती को भी भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया था एवं दिनांक 31-12-2014 को श्री संतोष कुमार दामनियाँ फर्म से स्वेच्छा से अपने हिस्से की पूंजी एवं लेन-देन चुकता प्राप्त करके रिटायर हो गये हैं। इस प्रकार मेरी पक्षकार फर्म के श्री मो. रफीक मेवाती एवं श्रीमति अफरोज मेवाती ही भागीदार शेष बचे हैं।

अतः सर्व-साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, कि उक्त भागीदार के रिटायर होने अथवा नवीन भागीदार के भागीदार बनने के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, हाउसिंग फायनेंस संस्था, कम्पनी, शासकीय व गैर शासकीय को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो ऐसी आपत्ति इस जाहिर सूचना के प्रकाशन के सात दिवस के अन्दर मेरे कार्यालय में मय दस्तावेजों के प्रस्तुत करें।

भवदीय

वी. एच. वासवानी,  
(अधिवक्ता)

शिव शंकर साँ मिल के पास,  
मैन रोड, बैरागढ़, भोपाल (म.प्र.).

(103-बी.)

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/पंजीयक, लोक न्यास बिजावर, जिला छतरपुर

प्र. क्र. 03/बी-113/2008-09.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश

लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

मेरे न्यायालय में एक आवेदन-पत्र पेश कर यह प्रकट किया गया है कि "श्री चित्रगुप्त मंदिर ट्रस्ट" बिजावर, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.) का जो सूची (ए) में उक्त मंदिर की सम्पत्ति क्रमशः दर्शित है जो सूची संलग्न है।

ट्रस्ट पंजीयन के लिए एवं कार्यकारिणी का गठन सम्पादन हेतु निम्नानुसार किया है जो प्रारूप तृतीया में देखिये नियम-4 (2) के अनुसार संलग्न सूची में दर्शित है जो इस ट्रस्ट का संचालन करते हुए गठन के पश्चात् नियमावली के अनुसार सम्पादित करेंगे इस आवेदन-पत्र की सुनवाई मेरे समक्ष की जा रही है इस कारण यह सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रसारित कर यह आदेश देता हूँ कि इस विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर जो भी आपत्ति हो मेरे समक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा इस प्रकरण की सुनवाई की जावेगी और आप लोगों की आपत्ति बाद में ग्राह्य योग्य नहीं होगी।

मंदिर श्री चित्रगुप्तेश्वर कायस्थ समाज समिति, बिजावर की समस्त चल सम्पत्ति का विवरण :-

बस्तु का नाम	बस्तु की कीमत
(1)	(2)
1. सेज की पलकिया	50/- रुपया
2. गलिचा	250/- रुपया
3. लोटा 2 (दो)	60/- रुपया

(1)	(2)
4. गगरियास्टील की	80/- रुपया
5. घंटी 2 (दो)	50/- रुपया
6. रकेबी 2 (दो)	40/- रुपया
7. कटोरा (कासे का)	40/- रुपया
8. थाली (कासे की)	50/- रुपया
9. आरती 2 (दो)	20/- रुपया
10. गुलाब जल छिड़कनेवाली	40/- रुपया
11. घंटा (एक)	80/- रुपया
12. झालर 2 (दो)	80/- रुपया
13. सारोट लकड़ी की	20/- रुपया
14. कलईदार रकेबी	60/- रुपया
15. आचमनी 2 (दो)	100/- रुपया
16. मूर्ति :-	
अ. श्रीराम जी	8,000/- रुपया
ब. जानकी जी	8,000/- रुपया
द. श्री चित्रगुप्त महाराज	3,000/- रुपया
स. लडडू-गोपाल	3,000/- रुपया

मंदिर श्री चित्रगुप्तेश्वर की अचल सम्पत्ति का विवरण :-

सम्पत्ति का विवरण	अनुमानित कीमत
1. मंदिर श्री चित्रगुप्तेश्वर (मंदिर) एवं की उसकी बागिया.	10,00,000/- रुपया (दस लाख रुपया).
2. 10 दुकानें	10,00,000/- रुपया (दस लाख रुपया).
3. कृषि भूमि स्थित ग्राम नैगुवां, तह. छतरपुर कुल रकवा 4.688 हेक्टेयर.	9,00,000/- रुपया (नौ लाख रुपया).
4. कलारी की बाघिया स्थित ग्राम बिजावर कुल रकवा 0.178 हेक्टेयर.	1,00,000/- रुपया (एक लाख रुपया).

यह विज्ञप्ति मेरे आदेश व हस्ताक्षर से जारी की गई.

जारी दिनांक-12-3-2015

पेशी दिनांक-16-4-2015

नीरज भटनागर,

अध्यक्ष.

अनुराग वर्मा,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

## न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सोहागपुर, जिला होशंगाबाद

सोहागपुर, दिनांक 01 मई, 2015

### प्रारूप-क्रमांक-4

[नियम-5 (1) देखिए ]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1)]

द्वारा :-लोक न्यासों के पंजीयक सोहागपुर, जिला होशंगाबाद के समक्ष.

क्र.750/अ.वि.अ/री-1/2015.—यतः- कि रामनारायण खण्डेलवाल आ. फूलचंद खण्डेलवाल, निवासी रामप्रसाद वार्ड सोहागपुर एवं अन्य 21 लोगों ने श्री शिव-पार्वती मंदिर न्यास, सोहागपुर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, यतः द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर वर्ष 2015 के मई माह की 27 तारीख दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

लोक न्यास का नाम	:	श्री शिव-पार्वती मंदिर न्यास, सोहागपुर
पता	:	रामगंज, वार्ड सोहागपुर.
सम्पत्ति का विवरण—		
चल सम्पत्ति	:	सावधि जमा राशि रुपया 15683 एवं रुपया 27769/-.
जेवर	:	चांदी के 2+1 मुकुट 207 ग्राम, एक छत्र 306 ग्राम, करदोना एक 61 ग्राम एवं सोने की एक नथ 1 ग्राम.
अचल सम्पत्ति	:	मौजा सोहागपुर पटवारी हल्का नं. 11, होशंगाबाद पिपरिया रोड खसरा नं. 366 रकवा 2.95 एकड़ एवं खसरा नं. 49 एवं 50 (मंदिर परिसर) शंकर-पार्वती प्रतिमा, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा माँ की प्रतिमा.

सोहागपुर, दिनांक 28/04/2015

नवीत धुर्वे,

अनुविभागीय अधिकारी.

(281)

### अन्य सूचनाएं

#### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/2634.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1263, दिनांक 29 अप्रैल, 2013 के द्वारा दीनदयाल कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्यादित, दौलतपुर, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 1220, दिनांक 06 मार्च, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एन. के. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1) (2)

एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

के. एन. त्रिपाठी,

(278)

उप-पंजीयक.

### कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, माडोगढ़, पंजी. क्रमांक 1210, दिनांक 1 मार्च, 2014 विकासखण्ड नारायणगंज को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2014/2064, मण्डला, दिनांक 01 सितम्बर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 24 मार्च, 2015 से प्रतीत होता है, कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं हैं.

अतः मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 24 मार्च, 2015 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(279)

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कुण्डा पंजी. क्रमांक 1211, दिनांक 1 मार्च, 2014 विकासखण्ड नारायणगंज को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2014/2065, मण्डला, दिनांक 01 सितम्बर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 24 मार्च, 2015 से प्रतीत होता है, कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं हैं.

अतः मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 24 मार्च, 2015 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(279-A)

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बनार पंजी. क्रमांक 1212, दिनांक 1 मार्च, 2014 विकासखण्ड नारायणगंज को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2014/2066, मण्डला, दिनांक 01 सितम्बर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 24 मार्च, 2015 से प्रतीत होता है, कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं हैं.

अतः मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 24 मार्च, 2015 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(279-B)

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बीजेगांव पंजी. क्रमांक 1213, दिनांक 1 मार्च, 2014 विकासखण्ड नारायणगंज को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2014/2067, मण्डला, दिनांक 01 सितम्बर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त किया गया था.















बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सिवनी पंजी. क्रमांक 1237, दिनांक 1 मार्च, 2014 विकासखण्ड नारायणगंज को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2014/2091, मण्डला, दिनांक 01 सितम्बर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 24 मार्च, 2015 से प्रतीत होता है, कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं हैं।

अतः मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 24 मार्च, 2015 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(280)

के. सी. अग्रवाल,  
सहायक रजिस्ट्रार.

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्सौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत मसाला उद्योग सहकारी समिति मर्या., दलौदा, तहसील दलौदा, जिला मन्सौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 872, दिनांक 08 जनवरी, 2007 है, को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/263/परिसमापन/2015, दिनांक 13 मार्च, 2015 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे।

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्सौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मसाला उद्योग सहकारी समिति मर्या., दलौदा, तहसील दलौदा, जिला मन्सौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री राजेश अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक, मन्सौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक .....मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(282)

मन्सौर, दिनांक 08 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत]

क्र./533/परि./2015.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या., दलौदा, तहसील दलौदा, जिला मन्सौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 873, दिनांक 09 जनवरी, 2007 है, को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/264/परिसमापन/2015, दिनांक 13 मार्च, 2015 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे।

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्सौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या., दलौदा, तहसील दलौदा, जिला मन्सौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं सुश्री विपिन बडगौती, सहकारी निरीक्षक, मन्सौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक .....मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

भारत सिंह चौहान,  
उप-पंजीयक.

(282-A)

**कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर**

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
सुराजे बैंकिंग बॉक्स सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता- 24 ग्रेटर तिरूपति कॉलोनी, इन्दौर.

क्र./परि./2015/911.-सुराजे बैंकिंग बॉक्स सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2330, दिनांक 11 जून, 2007 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सुराजे बैंकिंग बॉक्स सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(283)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
विंध्याचल महिला उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-ग्राम सिमरोल, तह. महू, जिला इन्दौर.

क्र./परि./2015/912.-विंध्याचल महिला उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2149, दिनांक 14 मार्च, 2004 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये विंध्याचल महिला उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन



निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(283-A)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
सत्यमिम उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-112 A, बंशी ट्रेड सेंटर, 509/5, एम.जी. रोड, इन्दौर.

क्र./परि./2015/913.-सत्यमिम उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1948, दिनांक 13 मई, 1999 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सत्यमिम उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(283-B)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
श्री गणेश आदिवासी गिट्टी, पत्थर उत्खनन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-397-398, गोयल नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/914.-श्री गणेश आदिवासी गिट्टी, पत्थर उत्खनन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./3399, दिनांक 23 मई, 2009 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री गणेश आदिवासी गिट्टी, पत्थर उत्खनन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(283-C)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
श्री रणजीत औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-48, ब्रविड़ नगर, इन्दौर.

क्र./परि/2015/915.-श्री रणजीत औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2512, दिनांक 30 जून, 2011 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री रणजीत औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(283-D)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
राज मंदिर औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-57, पागनीस पामा, इन्दौर.

क्र./परि/2015/916.-राज मंदिर औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./704, दिनांक 28 जनवरी, 1985 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी

पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज मंदिर औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(283-E)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
देवी अहिल्या सिलाई वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-46, चाणक्यपुरी, इन्दौर।

क्र./परि./2015/917.-देवी अहिल्या सिलाई वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./676, दिनांक 14 अक्टूबर, 1982 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था। उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये देवी अहिल्या सिलाई वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(283-F)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
महिला उत्थान रेडिमेट वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-जवाहर सभागृह, राजेन्द्र नगर, C-63, परिहार कॉलोनी।

क्र./परि./2015/918.-महिला उत्थान रेडिमेट वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./812, दिनांक 23 सितम्बर, 1995 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था। उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला उत्थान रेडिमेट वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(283-G)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
स्टील फर्नीचर एवं कावतकला उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-17, यशवंत सिंह कोठारी मार्ग।

क्र./परि/2015/919.-स्टील फर्नीचर एवं कावतकला उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर/आय.डी.आर/868, दिनांक 15 नवम्बर, 1987 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये स्टील फर्नीचर एवं कावतकला उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(283-H)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
विश्वास ईट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-महाकाल ऑटोपार्ट्स, कम्युनिटी हाल, मालवामिल चौराहा।

क्र./परि/2015/920.-विश्वास ईट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर/आय.डी.आर/1118, दिनांक 22 नवम्बर, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं करते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षेत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये विश्वास ईट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(283-I)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,

विशाल ईट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर

(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)

पता-25, रूस्तम का बगीचा, इन्दौर।

क्र./परि./2015/921.-विशाल ईट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1117, दिनांक 22 नवम्बर, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं करते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षेत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये विशाल ईट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(283-J)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,

बाबा रामदेव श्रम टेका उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर

(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)

पता-3/01, रामगंज जिंसी, इन्दौर।

क्र./परि./2015/922.-बाबा रामदेव श्रम टेका उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1136,

दिनांक 22 अप्रैल, 1992 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षेत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बाबा रामदेव श्रम ठेका उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(283-K)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
भागीरथपुरा लाख-चूड़ी उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-भागीरथपुरा, इन्दौर.

क्र./परि./2015/923.-भागीरथपुरा लाख-चूड़ी उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./572, दिनांक 20 जुलाई, 1992 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षेत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भागीरथपुरा लाख-चूड़ी उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(283-L)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
महिला गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-29, ओल्ड पलासिया, इन्दौर.

क्र./परि./2015/924.-महिला गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./45, दिनांक 18 मई, 1989 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(283-M)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
उज्ज्वल ईट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-51, शीलनाथ कैम्प, इन्दौर.

क्र./परि./2015/925.-उज्ज्वल ईट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1109, दिनांक 21 अक्टूबर, 1991 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उज्ज्वल ईट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का

पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(283-N)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
सेन्ट्रल इंडिया सिने उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-13, रोशन सिंह भंडारी मार्ग, रेस कोर्स रोड.

क्र./परि./2015/926.-सेन्ट्रल इंडिया सिने उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./339, दिनांक 14 फरवरी, 1959 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सेन्ट्रल इंडिया सिने उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(283-O)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
इंदौर स्टेन उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-596, भागीरथपुरा, इन्दौर.

क्र./परि./2015/927.-इंदौर स्टेन उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर./1129, दिनांक 09 जनवरी, 1992 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।



अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इंदौर स्टोन उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर-मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(283-P)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
जिला रफ-पेपर एवं स्टेशनरी उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-49/B, चेतन नगर, कनाड़िया रोड, इन्दौर.

क्र./परि./2015/928.-जिला रफ-पेपर एवं स्टेशनरी उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2325, दिनांक 23 मई, 2007 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला रफ-पेपर एवं स्टेशनरी उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(283-Q)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
साधना पापड़, अचार उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-118/1, पिपल्याराव, इन्दौर.

क्र./परि./2015/929.-साधना पापड़, अचार उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2323, दिनांक 23 मई, 2007 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये साधना पापड़, अचार उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(283-R)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
मालवा मिल्स उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-773, नेहरू नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/930.-मालवा मिल्स उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1562, दिनांक 17 जून, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मालवा मिल्स उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(283-S)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
वाल्मिकी हस्तशिल्प चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-04, कमाठीपुरा, इन्दौर.

क्र./परि./2015/931.-वाल्मिकी हस्तशिल्प चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./560, दिनांक 28 अगस्त, 1996 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाल्मिकी हस्तशिल्प चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(283-T)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
नवजीवन श्रमिक कामगार उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-1, महेश यादव नगर, इन्दौर।

क्र./परि./2015/932.-नवजीवन श्रमिक कामगार उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1665, दिनांक 11 अक्टूबर, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नवजीवन श्रमिक कामगार उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(283-U)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
जल जीवन नलकूप खनन उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-36, विकास टॉवर, इंदिरा कॉम्प्लेक्स, नवलखा, इन्दौर।

क्र./परि./2015/933.-जल जीवन नलकूप खनन उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1683, दिनांक 19 जनवरी, 1984 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जल जीवन नलकूप खनन उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(283-V)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
ग्लेक्सी ऑफ नॉलेज उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-18, जय बिल्डर्स कॉलोनी, इन्दौर।

क्र./परि./2015/934.-ग्लेक्सी ऑफ नॉलेज उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर./806, दिनांक 16 अप्रैल, 1985 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्लेक्सी ऑफ नॉलेज उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(283-W)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
श्री श्रद्धा म. प्रा. सह. उप. भण्डार  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-शुभम् पैलेस कॉलोनी, छोटा बांगड़दा, इन्दौर।

श्री श्रद्धा म. प्रा. सह. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./..., दिनांक 9 फरवरी, 2011 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री श्रद्धा म. प्रा. सह. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(283-X)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
आशा महिला सह. प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-530, संगीत मोहल्ला, महु, तह. महु, जि. इन्दौर.

आशा महिला सह. प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./....., दिनांक 26 अगस्त, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आशा महिला सह. प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(283-Y)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
जय माँ दुर्गा प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, देपालपुर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-कनवास, देपालपुर.

जय माँ दुर्गा प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, देपालपुर, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2143, दिनांक 8 मार्च, 2004 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय माँ दुर्गा प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, देपालपुर, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(283-Z)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
चंदा प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-2104, पोस्ट रंगवासा, देपालपुर।

चंदा प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2136, दिनांक 20 जनवरी, 2004 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये चंदा प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(284)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
जय गिरनारी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-5/3, नेहरू नगर, इन्दौर।

जय गिरनारी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2359, दिनांक 13 फरवरी, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय गिरनारी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(284-A)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
लक्ष्मी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-06, कुलकर्णी भट्टा, इन्दौर.

लक्ष्मी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2117, दिनांक 30 मार्च, 2007 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लक्ष्मी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(284-B)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-321, ई.एस. 4 विजय नगर, 78, इन्दौर.

मर्यादा पुरुषोत्तम प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2181, दिनांक 11 अक्टूबर, 2005 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मर्यादा पुरूषोत्तम प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।  
(284-C)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,

मध्य भारत प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर

( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )

पता-232, एम.जी. रोड, सुभाष प्रतिमा के पास, सीताराम पार्क, इन्दौर.

मध्य भारत प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2132, दिनांक 13 दिसम्बर, 2003 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्य भारत प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।  
(284-D)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,

प्रताप प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.

( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )

पता-.....

प्रताप प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./206, दिनांक 26 जून, 2003 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।



सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रताप प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(284-E)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
ऋषि पैलेस प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-52 ए, ऋषि पैलेस कॉलोनी, वार्ड 52, इन्दौर.

ऋषि पैलेस प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2367, दिनांक 4 मार्च, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ऋषि पैलेस प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(284-F)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-34, राजबाड़ा, इन्दौर.

स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./301, दिनांक 5 जनवरी, 1966 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।  
(284-G)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
श्री गुरु गोरक्षानाथ प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-नया बसेरा, गांधी नगर, इन्दौर.

श्री गुरु गोरक्षानाथ प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2337, दिनांक 24 जुलाई, 2007 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री गुरु गोरक्षानाथ प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।  
(284-H)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
संजरी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-नया बसेरा, गांधी नगर, इन्दौर.

संजरी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2339, दिनांक 28 जुलाई, 2007 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संजरी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(284-I)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
स्वास्तिक प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-198, कुलकर्णी भट्टा, इन्दौर.

स्वास्तिक प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2362, दिनांक 15 फरवरी, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये स्वास्तिक प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(284-J)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
बालाजी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-बेटमा-सतावादिया रोड, तह. देपालपुर, इन्दौर.

बालाजी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2768, दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बालाजी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(284-K)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
सुशीला देवी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-83 C, वैशाली नगर, इन्दौर.

सुशीला देवी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2186, दिनांक 10 जनवरी, 2005 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सुशीला देवी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(284-L)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
श्री साईनाथ महाराज प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-84 ई, राजेन्द्र नगर, इन्दौर.

श्री साईनाथ महाराज प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2390, दिनांक 29 अक्टूबर, 2009 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री साईनाथ महाराज प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(284-M)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
रमेश महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-ग्राम-सोनवाय, कम्पैल रोड, तह. इन्दौर.

रमेश महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./...., दिनांक 12 जनवरी, 2011 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रमेश महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(284-N)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
श्री माँ दुर्गा प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-173/3, द्वारकापुरी, इन्दौर.

श्री माँ दुर्गा प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2439, दिनांक 19 सितम्बर, 2010 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री माँ दुर्गा प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(284-O)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
माँ लक्ष्मी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, तेलीखेडी, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-तेलीखेडी, महूगांव, तह. महू, जि. इन्दौर.

माँ लक्ष्मी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, तेलीखेडी, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2444, दिनांक 19 अप्रैल, 2010 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ लक्ष्मी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, तेलीखेडी, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(284-P)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
साईकृपा प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, सुतारखेडी, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-20, नयापुरा, सुतारखेडी, ग्राम गुजरखेडा, महू, इन्दौर.

साईकृपा प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, सुतारखेडी, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2451, दिनांक 4 जून, 2011 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षेत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये साईकृपा प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, सुतारखेडी, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(284-Q)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
पायल प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, सांवेर, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-ग्राम भाग्या, तह. सांवेर, जि. इन्दौर.

पायल प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, सांवेर, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2378, दिनांक 2 अप्रैल, 2007 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षेत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पायल प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, सांवेर, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(284-R)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
जय माता जी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, गौतमपुरा, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-महात्मा गांधी मार्ग, बस स्टैण्ड, देपालपुर, जि. इन्दौर.

जय माता जी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, गौतमपुरा, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2437, दिनांक 3 मार्च, 2010 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय माता जी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, गौतमपुरा, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(284-S)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
श्रीराम प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, बेटमा, इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-सम्राट टॉकीज, सागोर रोड, बेटमा, तह. देपालपुर, जि. इन्दौर.

श्रीराम प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, बेटमा, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2453, दिनांक 10 अक्टूबर, 2010 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्रीराम प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, बैहम, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(284-T)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
यश प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-चादन खेड़ी, देपालपुर, जि. इन्दौर.

यश प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2142, दिनांक 27 फरवरी, 2004 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।



सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यश प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(284-U)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
राधा किशन प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-428, पारसी गली, आधा कुँआ, महु, जि. इन्दौर.

राधा किशन प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2140, दिनांक 19 नवम्बर, 2004 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राधा किशन प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(284-V)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
साक्षी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, महु, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-मालवीय नगर, हरत्याखेड़ी, महु, जि. इन्दौर.

साक्षी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, महु, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2173, दिनांक 9 मार्च, 2005 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये साक्षी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, महू, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।  
(284-W)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
लक्ष्य प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )

पता-बेटमा इन्दौर रोड ( जय बालाजी ट्रेडर्स ) तह. देपालपुर, जि. इन्दौर.

लक्ष्य प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2469, दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लक्ष्य प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।  
(284-X)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
संरथ प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, बेटमा, इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-सालमपुर बेटमा, तह. देपालपुर, जि. इन्दौर.

संरथ प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2472, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संस्थ प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(284-Y)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,

जय माँ कैला देवी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, राऊ, इन्दौर.

(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)

पता-रेल्वे स्टेशन रोड, राऊ, इन्दौर.

जय माँ कैला देवी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, राऊ, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2434, दिनांक 9 फरवरी, 2010 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय माँ कैला देवी प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, राऊ, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(284-Z)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,

श्रमिक प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, राऊ, इन्दौर.

(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)

पता-श्रमिक कॉलोनी, राऊ, तह. इन्दौर.

श्रमिक प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, राऊ, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2443, दिनांक 26 मार्च, 2010 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्रमिक प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, राऊ, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(285)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
भागीरथ महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-भागीरथ पुरा, इन्दौर।

भागीरथ महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1430, दिनांक 4 जून, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भागीरथ महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(285-A)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
श्रवण प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-6/7, परदेशी पुरा, इन्दौर।

श्रवण प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2371, दिनांक 24 मार्च, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्रवण प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(285-B)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
अहिरखेड़ी महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-अहिरखेड़ी, जि. इन्दौर.

अहिरखेड़ी महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2383, दिनांक 30 अगस्त, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अहिरखेड़ी महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(285-C)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
संगीता महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, महु, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-2568, गोकुल गंज, महु, जि. इन्दौर.

संगीता महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, महु, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1263, दिनांक 20 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संगीता महिला प्रा. उप. भण्डार महु, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(285-D)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
माँ वैष्णो देवी महिला प्रा. उप. भण्डार महु, इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-महु गांव, जिला इन्दौर.

माँ वैष्णो देवी महिला प्रा. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, महु, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1940, दिनांक 01 सितम्बर 1998 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ वैष्णो देवी महिला प्रा. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, महु, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(285-E)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
नवजीवन मत्स्य उद्योग सह. संस्था मर्यादित, कृषि नगर, इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-इन्दौर.

क्र./परि./2015/971.-नवजीवन मत्स्य उद्योग सह. संस्था मर्यादित, कृषि नगर, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1951, दिनांक 19 दिसम्बर, 1995 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नवजीवन मत्स्य उद्योग सह. संस्था मर्यादित, कृषि नगर, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(285-F)

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,

माँ भड़कली अनु. ज. जा. मछली पालन सह. संस्था मर्यादित, नाहरखेड़ी, इन्दौर.

( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )

पता-.....

माँ भड़कली अनु. ज. जा. मछली पालन सह. संस्था मर्यादित, नाहरखेड़ी, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2157, दिनांक 1 जुलाई, 2004 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ भड़कली अनु. ज. जा. मछली पालन सह. संस्था मर्यादित, नाहरखेड़ी, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(285-G)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,

श्री लक्ष्मी मछली पालन सहकारी संस्था, मर्यादित, पंथाखेड़ी, जिहोद, महु, इन्दौर.

( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )

पता-.....

क्र./परि./2015/973.-श्री लक्ष्मी मछली पालन सहकारी संस्था, मर्यादित, पंथाखेड़ी, जिहोद, महु, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2169, दिनांक 29 नवम्बर, 2004 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री लक्ष्मी मछली पालन सहकारी संस्था, मर्यादित, पंथाखेड़ी, जिहोद, महु, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(285-H)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
विंध्याचल अ.ज.जा. मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्यादित,  
गुराड़िया, ग्राम पंचायत बुजुर्ग, मेण, इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-.....

क्र./परि/2015/974.-विंध्याचल अ.ज.जा. मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्यादित, गुराड़िया, ग्राम पंचायत बुजुर्ग, मेण, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2159, दिनांक 8 अगस्त, 2004 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये विंध्याचल अ.ज.जा. मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्यादित, गुराड़िया, ग्राम पंचायत बुजुर्ग, मेण, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(285-I)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
राष्ट्रीय मछुआ मांझी आदिवासी जल कृषि सह. संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-ग्राम यशवंत सागर फल कराडीया, तह. इन्दौर.

क्र./परि/2015/975.-राष्ट्रीय मछुआ मांझी आदिवासी जल कृषि सह. संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./911,



दिनांक 20 सितम्बर, 1989 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रीय मछुआ माझी आदिवासी जल कृषि सह. संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(285-J)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
जागृति मछुआ सह. संस्था मर्यादित, धुलेट.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता- ग्रा. धुलेट, तह. इन्दौर.

क्र./परि/2015/976.-जागृति मछुआ सह. संस्था मर्यादित, धुलेट, ग्रा. धुलेट, तह. इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2379, दिनांक 26 जून, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जागृति मछुआ सह. संस्था मर्यादित, धुलेट, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(285-K)

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
सागर मछुआ सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-ग्राम पिछोरखुर्द, पिपल्या काचरोट, इन्दौर.

सागर मछुआ सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2498, दिनांक 25 अप्रैल, 2011 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सागर मछुआ सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(285-L)

**( कारण बताओ सूचना-पत्र )**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
जल कृषि मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-बिलावली तालाव, इन्दौर.

जल कृषि मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2417, दिनांक 5 सितम्बर, 2009 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जल कृषि मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(285-M)

**( कारण बताओ सूचना-पत्र )**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
जल कृषि मत्स्य उद्योग सह. संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-बावलिया खुर्द, तह. इन्दौर.

जल कृषि मत्स्य उद्योग सह. संस्था मर्यादित, बातलीया खुर्द, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2380, दिनांक 26 जून, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जल कृषि मत्स्य उद्योग सह. संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(285-N)

### ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
माँ बंजारी देवी जल कृषि सह. संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-सिवनी, तह. इन्दौर.

माँ बंजारी देवी जल कृषि सह. संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2335, दिनांक 26 जून, 2007 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ बंजारी देवी जल कृषि सह. संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(285-O)

### ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
श्री लक्ष्मी अनु. जाति वर्ग मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्यादित, खेमाना, तह. इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-.....

श्री लक्ष्मी अनु. जाति वर्ग मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्यादित, खेमाना, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2620, दिनांक 22 अक्टूबर, 2013 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री लक्ष्मी अनु. जाति वर्ग मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्यादित, खेमाना, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।  
(285-P)

### ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
सतपुड़ा मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-1/2, प्रदीप अर्पा., पलसीकर चौराह.

सतपुड़ा मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1650, दिनांक 27 अगस्त, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सतपुड़ा मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।  
(285-Q)

### ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
कहार महिला मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., चोरलमेण, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-85, बक्षी बाग.

कहार महिला मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, चोरलमेण, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./....., दिनांक ..... है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कहार महिला मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, चोरलमेण इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।  
(285-R)

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
नवीन हरिजन मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, बीसाखेड़ी सांवेर, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-ग्राम बिसाखेड़ी सांवेर

नवीन हरिजन मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, बीसाखेड़ी सांवेर, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./799, दिनांक 15 अक्टूबर, 1984 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था। उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नवीन हरिजन मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, बीसाखेड़ी सांवेर, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।  
(285-S)

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
श्री गोड़िया महार म. मत्स्य सह. संस्था मर्या., इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-44, भोई मोहल्ला इन्दौर.

श्री गोड़िया महार म. मत्स्य सह. संस्था मर्या., 44, भोई मोहल्ला इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./258, दिनांक 25 मई, 1963 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था। उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है। जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री गोड़िया महार म. मत्स्य सह. संस्था मर्या., 44, भोई मोहल्ला इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.  
(285-T)

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था मर्या., गोडकुआ.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-गोड कुआ.

आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था मर्या., गोडकुआ इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./895, दिनांक 10 जनवरी, 1989 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था मर्या., गोडकुआ इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.  
(285-U)

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
मांझी मछुआ जामनिया सह. संस्था मर्या., जामनिया खुर्द, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-जामनिया खुर्द.

मांझी मछुआ जामनिया सह. संस्था मर्या., जामनिया खुर्द, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2001, दिनांक 07 नवम्बर, 2000 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मांझी मछुआ जामनिया सह. संस्था मर्या., जामनिया खुर्द, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी

होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(285-V)

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,

माँ हरसिद्धि हरिजन मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्या., कदवाली खुर्द, सांवेर.

(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)

पता-कदवाली खुर्द, सांवेर.

माँ हरसिद्धि हरिजन मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्या., कदवाली खुर्द सांवेर, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2138, दिनांक 27 जनवरी, 2004 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ हरसिद्धि हरिजन मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्या., कदवाली खुर्द सांवेर, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(285-W)

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,

वाल्मिक मत्स्य जल कृषि स. संस्था मर्या., दिलिप नगर नैनोद.

(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)

पता-दिलिप नगर नैनोद.

वाल्मिक मत्स्य जल कृषि स. संस्था मर्या., दिलिप नगर नैनोद, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2139, दिनांक 13 फरवरी, 2004 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है।

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाल्मिक मत्स्य जल कृषि स. संस्था मर्या., दिलिप नगर नैनोद, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(285-X)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
आदर्श हरिजन मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, सोमवाय, तहसील इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )

पता- . . . . .

क्र./परि./2015/990.-आदर्श हरिजन मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./793, दिनांक 15 अक्टूबर, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदर्श हरिजन मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.  
(285-Y)

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
आदिवासी मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, पिपल्या खुर्द.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-पिपल्या खुर्द विकासखण्ड महु.

आदिवासी मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, पिपल्या खुर्द, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2110, दिनांक 04 मार्च, 2003 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रीय आदिवासी मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, पिपल्या खुर्द का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.  
(285-Z)



## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
जल कृषि मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, असरावद, इन्दौर  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)

जल कृषि मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./802, दिनांक 10 नवम्बर, 1984 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जल कृषि मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
माँ शारदा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-पूजा कॉम्प्लेक्स, जूनी, इन्दौर.

माँ शारदा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1200, दिनांक 02 मार्च, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ शारदा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-A)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
मिलन साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता- 50, दौलतगंज, 34 कबुतर खाना, रानीपुरा, इन्दौर.

क्र./परि./2015/994—मिलन साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./871, दिनांक 11 मार्च, 1988 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मिलन साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-B)

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
म. प्र. शासकीय कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता- गांधी हॉल, 46 आडा बाजार, इन्दौर.

म. प्र. शासकीय कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./464, दिनांक 06 दिसम्बर, 1974 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये म. प्र. शासकीय कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-C)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
एल. के महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-69, चंद्रलोक कॉलोनी, इन्दौर.

एल. के महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1994, दिनांक 05 अगस्त, 2000 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एल. के महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-D)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
इडर्स क्रेडिट साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-37, संवीद नगर, इन्दौर.

इडर्स क्रेडिट साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2299, दिनांक 04 जनवरी, 2007 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इडर्स क्रेडिट साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-E)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
जश ग्रुप कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-31, सेक्टर सी इंडस्ट्रीयल एरिया, सांवेर रोड, इन्दौर.

जश ग्रुप कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./....., दिनांक..... है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जश ग्रुप कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-F)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
माधव साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-146, वूदावन कॉलोनी, इन्दौर.

माधव साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर.1938, दिनांक 02 अगस्त, 2009 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माधव साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-G)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
मध्य मालवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता- 136/1, गोमाकीफेल, इन्दौर.

मध्य मालवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1925, दिनांक 01 जनवरी, 1999 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्य मालवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-H)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
माँ चामुण्डेश्वरी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-सांवेर रोड, इन्दौर.

माँ चामुण्डेश्वरी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1934, दिनांक 23 फरवरी, 1999 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ चामुण्डेश्वरी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-I)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
माँ जगदम्बा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-5, बडवानी प्लाजा, इन्दौर.

माँ जगदम्बा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1921, दिनांक 09 दिसम्बर, 1998 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ जगदम्बा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-J)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
मोर्य साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-12, नवलखा मेन रोड, इन्दौर.

मोर्य साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./535, दिनांक 15 फरवरी, 1979 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मोर्य साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-K)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
सूर्य मंच साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता- 45/1, सुतारगली, नगरनिगम रोड, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1004.-सूर्य मंच साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2516, दिनांक 04 दिसम्बर, 2011 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सूर्य मंच साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-L)

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
सानंद साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-42/5, मल्हारगंज, इन्दौर.

क्र./परि./2015/912.-सानंद साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2011, दिनांक 25 नवम्बर, 2000 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सानंद साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-M)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
अहिल्या महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-45, लोधीपुरा, इन्दौर.

अहिल्या महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./495, दिनांक 05 जनवरी, 2007 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-3-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अहिल्या महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-N)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
भण्डारी स्टाफ कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-भंडारी मील, इन्दौर.

भण्डारी स्टाफ कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./718, दिनांक 07 फरवरी, 2005 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भण्डारी स्टाफ कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-O)



## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
बाण गंगा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता- 99/1, बाणगंगा, इन्दौर.

बाण गंगा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2014, दिनांक 12 दिसम्बर, 2004 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बाण गंगा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-P)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
एकोभव साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-29, कुमावत, इन्दौर.

एकोभव साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1657, दिनांक 26 अगस्त, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एकोभव साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-Q)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
दी नाथ म्हासकोवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-36, वल्लभ नगर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इन्दौर.

दी नाथ म्हासकोवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2381, दिनांक 15 जुलाई, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दी नाथ म्हासकोवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-R)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
मालवा सहकारी शक्कर कारखाना साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-बरलाई, इन्दौर.

मालवा सहकारी शक्कर कारखाना साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./621, दिनांक 22 फरवरी, 1981 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मालवा सहकारी शक्कर कारखाना साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-S)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
जय अम्बे साख सहकारी संस्था मर्यादित, मूसाखेड़ी, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-399, इदरीस नगर, इन्दौर.

जय अम्बे साख सहकारी संस्था मर्यादित, मूसाखेड़ी, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2509, दिनांक 16 जून, 2011 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय अम्बे साख सहकारी संस्था मर्यादित, मूसाखेड़ी, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-T)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
राजपूत समाज सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-59/2, नेहरू नगर, इन्दौर.

राजपूत समाज सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2378, दिनांक 09 जून, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजपूत समाज सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-U)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
 दि सिद्धेश्वर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
 (द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
 पता-रानीपुरा मेन रोड, पटेल मार्केट, गौरी नगर, इन्दौर.

दि सिद्धेश्वर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2170, दिनांक 11 फरवरी, 2005 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दि सिद्धेश्वर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-V)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
 ग्रीन ग्रो साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
 (द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
 पता-211, सम्राट नगर, खजराना, इन्दौर.

ग्रीन ग्रो साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2523, दिनांक 04 जून, 2012 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्रीन ग्रो साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-W)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
भारतीय महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-186-बी, संगम नगर, इन्दौर.

भारतीय महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1968, दिनांक 04 जनवरी, 2000 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भारतीय महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-X)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
जय माँ अम्बे महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)

जय माँ अम्बे महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2342, दिनांक 18 जुलाई, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय माँ अम्बे महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-Y)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
 इन्दौर कामर्शियल साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर  
 (द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
 पता-सत्यगीता अपार्टमेंट, सपना संगीता रोड, इन्दौर.

इन्दौर कामर्शियल साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2353, दिनांक 01 फरवरी, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इन्दौर कामर्शियल साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(286-Z)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
 नवजीवन महिला प्राथ. उप. भण्डार, इन्दौर  
 (द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
 पता-110, बाणगंगा, इन्दौर.

नवजीवन महिला प्राथ. उप. भण्डार, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर.1209, दिनांक 20 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नवजीवन महिला प्राथ. उप. भण्डार, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
प्राची महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-234/2, बाणगंगा इन्दौर.

प्राची महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1352, दिनांक 20 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राची महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-A)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
स्टेशनरी क्रय-विक्रय प्राथ. उप. भण्डार मर्या., महु.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)

क्र./परि./2015/1075—स्टेशनरी क्रय-विक्रय प्राथ. उप. भण्डार मर्या., महु, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1198., दिनांक 09 सितम्बर 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये स्टेशनरी क्रय-विक्रय प्राथ. उप. भण्डार मर्या., महु का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-B)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
श्री रामकृष्ण महिला प्राथ. उप भण्डार इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता- 385, स्कीम नं. 51 सेक्टर C, वार्ड क्र. 5 इन्दौर.

श्री रामकृष्ण महिला प्राथ. उप भण्डार इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2358, दिनांक 13 फरवरी, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री रामकृष्ण महिला प्राथ. उप भण्डार इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-C)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
माँ नर्मदा महिला प्राथ. उप. भण्डार इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-72, माजार चौक महुगांव, जिला इन्दौर.

माँ नर्मदा महिला प्राथ. उप. भण्डार इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2365, दिनांक 07 मार्च, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ नर्मदा महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-D)



## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
केशव महिला प्राथ. उप-भण्डार मर्या., इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-50 पेन जान कॉलोनी, वार्ड 05, इन्दौर.

केशव महिला प्राथ. उप-भण्डार सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2356, दिनांक 12 फरवरी, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केशव महिला प्राथ. उप-भण्डार सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-E)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
श्री साईं नाथ महिला प्राथ. उप भण्डार मर्या., इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-35 ए कुशवाह नगर इन्दौर.

श्री साईं नाथ महिला प्राथ. उप भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2355, दिनांक 4 फरवरी, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री साईं नाथ महिला प्राथ. उप भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-F)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
भारतीय महिला प्राथ उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-3014, परदेशीपुरा, इन्दौर, वार्ड 54.

भारतीय महिला प्राथ उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर.1331, दिनांक 20 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भारतीय महिला प्राथ उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-G)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
माँ अन्नपूर्णा महिला प्राथ. उप भण्डार मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता- 2/30, विजयनगर, इन्दौर.

माँ अन्नपूर्णा महिला प्राथ. उप भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1608, दिनांक 28 जुलाई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ अन्नपूर्णा महिला प्राथ. उप भण्डार संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-H)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
माँ काली महिला उप-भण्डार मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-551, सुन्दर नगर, इन्दौर.

माँ काली महिला उप-भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1210, दिनांक 20 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ काली महिला उप-भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-1)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
जय बजरंग महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-270, सुखलिया, ग्राम इन्दौर.

जय बजरंग महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1294, दिनांक 20 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय बजरंग महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-J)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
सद्भावना महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-31, खागसी का बगीचा, इन्दौर.

सद्भावना महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1478, दिनांक 20 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सद्भावना महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-K)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
अग्रोहा महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता- 23, सदर बाजार मेन रोड, इन्दौर.

अग्रोहा महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1527, दिनांक 22 जून, 1997 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अग्रोहा महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-L)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
श्री लक्ष्मी महिला प्रा. उप. भण्डार इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-63/10, टीव नगर रविदास नगर, इन्दौर.

श्री लक्ष्मी महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2011, दिनांक 25 नवम्बर, 2000 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री लक्ष्मी महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-M)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
मृगनयनी महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-66 तिलक पथ, इन्दौर.

मृगनयनी महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1267, दिनांक 20 मई, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मृगनयनी महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-N)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
माँ जीणेश्वरी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-33/1, नेहरु नगर, इन्दौर.

माँ जीणेश्वरी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2433, दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ जीणेश्वरी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-O)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
माँ दुर्गा व्यापारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता- 298, श्रीराम कृष्ण बाग कॉलोनी, व्हेलो सीटी कॉलानी, इन्दौर.

माँ दुर्गा व्यापारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2436, दिनांक 23 फरवरी, 2010 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ दुर्गा व्यापारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-P)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
मेवाडा कुमावत साख सह. संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)

मेवाडा कुमावत साख सह. संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2046, दिनांक ..... है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मेवाडा कुमावत साख सह. संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-Q)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
ऊँ साईं राम साख सह. संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-269, महाराणा प्रताप नगर, इन्दौर.

ऊँ साईं राम साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2467, दिनांक 24 नवम्बर, 2010 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ऊँ साईं राम साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-R)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
शासकीय महाविद्यालय कर्मचारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-टॉवर चौराहा भवरकुंआ हरि गोपाल कॉम्पलेक्स इन्दौर.

शासकीय महाविद्यालय कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1677, दिनांक 29 दिसम्बर, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शासकीय महाविद्यालय कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-S)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
समृद्धि महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-6, काछी मोहल्ला, इन्दौर.

समृद्धि महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1462, दिनांक 07 जून, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये समृद्धि महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-T)



## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
सुरभि महिला प्रा. उप. भण्डार इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-76, गणेश गंज, इन्दौर.

सुरभि महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1697, दिनांक 01 फरवरी, 1997 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सुरभि महिला प्रा. उप. भण्डार, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-U)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
नागेश्वर विन्धवासिनी साख सहकारी संस्था इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-101, गौरी नगर, इन्दौर.

नागेश्वर विन्धवासिनी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1953, दिनांक 09 अगस्त, 1999 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नागेश्वर विन्धवासिनी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-V)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
श्री कस्तूरबा महिला साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-211, सम्राट नगर, खजराना, इन्दौर.

श्री कस्तूरबा महिला साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2075, दिनांक 30 अप्रैल, 2002 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री कस्तूरबा महिला साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-W)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
श्री गुरुकृपा जनविकास साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-539, जनता कॉलोनी नंदानगर इन्दौर.

श्री गुरुकृपा जनविकास साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2054, दिनांक 05 अक्टूबर, 2001 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री गुरुकृपा जनविकास साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-X)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,

श्री बालाजी मर्केटाईल साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.

( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )

पता-4 जिन्सी, मेन रोड, इन्दौर.

श्री बालाजी मर्केटाईल साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2129, दिनांक 28 नवम्बर, 2003 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री बालाजी मर्केटाईल साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-Y)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,

सिरपुर सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर.

( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )

पता-444, सिरपुर धार रोड, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1046—सिरपुर सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2486, दिनांक 08 फरवरी, 2011 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इन्दौर सिरपुर सहकारी साख संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(287-Z)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
स्वतंत्र क्रेडिट साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-E-75, एम. आय. जी. कॉलोनी, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1047—स्वतंत्र क्रेडिट साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2466, दिनांक 13 अक्टूबर, 2010 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये स्वतंत्र क्रेडिट साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(288)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
टूरिज्म मर्केटाईल साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-शीव विलास पैलेस, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1049—टूरिज्म मर्केटाईल साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1890, दिनांक 05 अप्रैल, 1998 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये टूरिज्म मर्केटाईल साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(288-A)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
एम. ई. एस. साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-माल रोड, महु

क्र./परि./2015/1050—एम. ई. एस. साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/508, दिनांक 03 मई, 1977 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एम. ई. एस. साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(288-B)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
रण थम्बोर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-136/3, नेहरू नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1052—रण थम्बोर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1206, दिनांक 17 मई, 1997 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रण थम्बोर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(288-C)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
युगान्तर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-13, साउथ पागनीसपागा, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1053—युगान्तर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1135, दिनांक 24 मार्च, 1997 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये युगान्तर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(288-D)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
बैरवा गुरु श्री सनावरली नाथ साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-875, पंचमकी फेल, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1054—बैरवा गुरु श्री सनावरली नाथ साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2403, दिनांक 05 जून, 2009 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बैरवा गुरु श्री सनावरली नाथ सह. साख संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(288-E)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
विनर्स साख सह. संस्था, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-185, जेल रोड, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1055—विनर्स साख सह. संस्था, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1859, दिनांक 10 सितम्बर, 1997 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये विनर्स साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(288-F)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
श्री नर्मदीय साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-780/8, नंदानगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1056—श्री नर्मदीय साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1846, दिनांक 30 जून, 1997 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री नर्मदीय साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(288-G)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
नव सर्वोदय साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-19/1, बडवानी प्लाजा, ओल्ड पलासिया, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1057—नव सर्वोदय साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2424, दिनांक 18 अगस्त, 2010 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नव सर्वोदय साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(288-H)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
नवीन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता- 183, भागीरथपुरा, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1058—नवीन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2074, दिनांक 22 अप्रैल, 2002 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नवीन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(288-1)



इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,

माँ अहिल्या साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.

(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)

पता-275, एमटीएच मार्केट, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1059—माँ अहिल्या साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1790, दिनांक 21 अगस्त, 1996 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ अहिल्या साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(288-J)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,

ज्ञान साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.

(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)

पता- 122, कारसदेव नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1061—ज्ञान साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/276, दिनांक 06 मई, 2002 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ज्ञान साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(288-K)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,

चित्रगुप्त साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )

पता-865, कृष्णबाग कॉलोनी, मालवीय नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1062—चित्रगुप्त साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/2489, दिनांक 10 फरवरी, 2011 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये चित्रगुप्त साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(288-L)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,

सहयोग समर्पण साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.

( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )

पता-25/26, रूपराम नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1064—सहयोग समर्पण साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर/1820, दिनांक 20 फरवरी, 1997 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सहयोग समर्पण साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(288-M)

इन्दौर, दिनांक 12 मार्च, 2015

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
सर्वोदय विकास साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-E-2483, सुदामा नगर, इन्दौर.

क्र./परि./2015/1065—सर्वोदय विकास साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1147, दिनांक 06 अगस्त, 1992 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सर्वोदय विकास सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(288-N)

( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
खालसा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-61, भंवरकुंआ, इन्दौर.

खालसा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2023, दिनांक 23 जनवरी, 2001 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये खालसा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(288-O)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
मानस सेवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता- 91, बाणगंगा मेनरोड, इन्दौर.

मानस सेवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2376, दिनांक 05 जून, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मानस सेवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.  
(288-P)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
मालवीय नगर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-773/3, मालवीय नगर, इन्दौर.

मालवीय नगर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2099, दिनांक 10 दिसम्बर, 2002 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मालवीय नगर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.  
(288-Q)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
मेहरा समाज साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-18, अरविन्द नगर, मुसाखेडी, इन्दौर.

मेहरा समाज साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2639, दिनांक 07 फरवरी, 2009 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मेहरा समाज साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(288-R)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
ऊँ श्री महाकालेश्वर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-234/4, नेहरू नगर, इन्दौर.

ऊँ श्री महाकालेश्वर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2377, दिनांक 06 जून, 2008 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ऊँ श्री महाकालेश्वर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(288-S)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
प्रेस्टिज साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-30, जावरा कंपाउंड, इन्दौर.

प्रेस्टिज साख सहकारी मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1132, दिनांक 27 फरवरी, 1982 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रेस्टिज साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(288-T)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
पाल जन सहयोग साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-111, नेताजी सुभाष मार्ग, इन्दौर.

पाल जन सहयोग साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1176, दिनांक 02 अप्रैल, 1993 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पाल जन सहयोग साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(288-U)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
जीवन ज्योति साख सहकारी संस्था इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-1/2, तंबोली बाखल धर्मशाला, इन्दौर.

जीवन ज्योति साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./828, दिनांक 05 जुलाई, 1986 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जीवन ज्योति साख सहकारी संस्था इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(288-V)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
जय झूलेलाल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-612 चावला ट्रेडर्स सेंटर, सियागंज, इन्दौर.

जय झूलेलाल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2476, दिनांक 22 सितम्बर, 2011 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय झूलेलाल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(288-W)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
गुर्जर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता-132, सुभाष मार्ग, इन्दौर.

गुर्जर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./1932, दिनांक 15 फरवरी, 1994 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गुर्जर साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(288-X)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
सर्वे ऑफ इंडिया साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
( द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी )  
पता—गोकुलदास चेंबर्स, 17 रेसकोर्स रोड, इन्दौर.

सर्वे ऑफ इंडिया साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./719, दिनांक 22 जुलाई, 1983 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सर्वे ऑफ इंडिया साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(288-Y)



## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
जोबनेट साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-171-ए, अभिनंदन नगर, इन्दौर.

जोबनेट साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./आर./आय.डी.आर./2284, दिनांक 13 दिसम्बर, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जोबनेट साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(288-Z)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,  
श्री नाकोड़ा भैरव ईंधन साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-106/3, संविदनगर, वार्ड 62, इन्दौर.

श्री नाकोड़ा भैरव ईंधन साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर./2279, दिनांक 06 दिसम्बर, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री नाकोड़ा भैरव ईंधन साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,  
पितृ कृपा ईंधन साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-32, अल्कापुरी, मुसाखेडी, इन्दौर.

पितृ कृपा ईंधन साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर./2254, दिनांक 01 नवम्बर, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पितृ कृपा ईंधन साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289-A)

## ( कारण बताओ सूचना-पत्र )

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल सदस्यगण,  
सुरक्षा ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.  
(द्वारा-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी)  
पता-04, कुलकर्णी का भट्टा, वार्ड 16, इन्दौर.

सुरक्षा ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./आय.डी.आर./2273, दिनांक 26 दिसम्बर, 2006 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 29 मार्च, 2014 से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुये अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णतः अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सुरक्षा ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(289-B)

राजेश कुमार क्षत्री,  
उप-आयुक्त सहकारिता.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 मई 2015 ज्येष्ठ 8, शके 1937

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 28 जनवरी, 2015

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील भितरवार (ग्वालियर), गुना, बमोरी, आरोन, चांचोडा, कुंभराज (गुना), बक्स्वाहा (छतरपुर), गुन्नौर, पवई, शाहनगर (पन्ना), खुरई, बंडा, सागर, देवरी, गढाकोटा, राहतगढ़, केसली, मालथोन (सागर), रघुराजनगर, नागौद, मैहर, (सतना), सिरमौर, मऊगंज, हनुमना, हुजूर, गुढ़, रामपुर कुर्चलियान (रीवा), गोपदबनास, सिंहावल, मझोली, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), लटेरी, ग्यारसपुर (विदिशा), बैरसिया, हुजूर (भोपाल), रायसेन, गौरतगंज, बेगमगंज, बरेली, सिलवानी, बाड़ी, उदयपुरा (रायसेन) चिचोली, बैतूल, आठनेर, आमला (बैतूल), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, कुन्डम (जबलपुर), मंडला (मंडला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील ग्वालियर, डबरा, घाटीगांव (ग्वालियर), राधोगढ़, मकसूदन (गुना), लवकुश नगर, नौगांव, छतरपुर (छतरपुर), पन्ना, अजयगढ़ (पन्ना), बीना, रहली, शाहगढ़ (सागर), त्योंथर (रीवा), सिरोंज, कुरवाई, बासोदा, नटेरन, विदिशा, गुलाबगंज (विदिशा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील राजनगर, बिजावर (छतरपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील बडामलहरा (छतरपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला श्योपुर, शिवपुरी, उमरिया, जबलपुर में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—जिला श्योपुर, उमरिया, खरगौन, जबलपुर, नरसिंहपुर में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति.—राज्य के अधिकांश जिलों में फसल स्थिति सामान्यतः ठीक रहना प्रतिवेदित किया गया है.

5. कटाई.—जिला बैतूल में फसल गन्ना की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, सतना, उमरिया, उज्जैन, शाजापुर, विदिशा, नरसिंहपुर व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाप्तांत बुधवार, दिनांक 28 जनवरी, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, अलसी सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..				
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	..				
<b>*जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	21.4				
2. डबरा	25.6				
3. भितरवार	5.0				
4. घाटीगांव	32.0				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, मटर समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	24.0				
2. दतिया	28.0				
3. भाण्डेर	27.0				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
<b>जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	12.4		4. (1) चना, गेहूँ, सरसों सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	18.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	14.0				
4. आरोन	12.0				
5. चाचौड़ा	6.0				
6. मक्सूदन	18.0				
7. कुम्भराज	14.0				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		मसूर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	30.0		4. (1) तुअर, जौ अधिक. गेहूँ, चना, कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	91.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	20.0				
4. छतरपुर	33.2				
5. राजनगर	37.8				
6. बिजावर	53.0				
7. बड़ामलहरा	122.0				
8. बकस्वाहा	13.9				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	31.4		4. (1) मूंग, जौ, राई-सरसों, अलसी, प्याज	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	18.0		अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	14.0		तुअर, उड़द, तिल, सोयाबीन, गेहूँ,		
4. पवई	9.0		चना, मसूर, आलू कम.		
5. शाहनगर	5.1		(2) ..		
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	21.4		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	10.4		राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	10.8		कम.		
4. सागर	12.8		(2) ..		
5. रेहली	18.8				
6. देवरी	6.0				
7. गढ़ाकोटा	11.2				
8. राहतगढ़	10.2				
9. केसली	15.0				
10. मालथोन	6.4				
11. शाहगढ़	25.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	7.9				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	10.4				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	13.0				
9. बिरसिंहपुर	..				
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना राई, सरसों अधिक. मसूर, अलसी, जौ, अरहर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	23.0				
2. सिरमौर	5.3				
3. मऊगंज	9.0				
4. हनुमना	6.2				
5. हजूर	9.0				
6. गुढ़	4.0				
7. शयपुरकचुलियान	1.0				
<b>*जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. राहर, गेहूँ कम. अलसी, राई-सरसों, मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, अरहर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी अधिक. सोयाबीन कम. तिल समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	7.4		4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिहावल	6.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	2.8				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	2.0				
6. रामपुरनैकिन	2.3				
<b>जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) चना, गेहूँ अधिक. तुअर, अलसी, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दासौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) गेहूँ अधिक. चना, रायड़ा कम. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धड़का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) गेहूँ, राई-सरसों अधिक. चना, मसूर, मटर कम.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) ..		
3. मनासा	..				
<b>*जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) गेहूँ, चना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
<b>जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) गेहूँ, चना. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) ..		
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				



1	2	3	4	5	6
<b>*जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. थांदला	..		4. (1) मक्का अधिक, चना, कपास कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		गेहूं, समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..		(2) ..		
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. जोवट	..		4. (1) गेहूं, चना कम. कपास, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..		(2) ..		
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	..		4. (1) गन्ना अधिक. गेहूं, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		अधिक. ज्वार, धान, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..		(2) ..		
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
<b>जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
<b>जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		अधिक. गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	12.0		4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	19.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	34.8				
4. बासौदा	21.6				
5. नटेरन	24.0				
6. विदिशा	34.0				
7. गुलाबगंज	30.0				
8. ग्यारसपुर	12.0				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	16.0		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तुअर, गन्ना	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	13.14		समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..	..	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. ...	3. ...	5. पर्याप्त.	7. ...
1. रायसेन	16.0		4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर अधिक. चना, मटर, लाख, तिवड़ा कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	5.7		(2) ...		
3. बेगमगंज	7.0				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	10.0				
6. सिलवानी	5.0				
7. बाड़ी	3.0				
8. उदयपुरा	17.0				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. गन्ना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	7.4				
5. बैतूल	3.3				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	3.3				
8. आमला	2.0				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. ...	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) चना, मटर, तुअर अधिक. मसूर कम. गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ...		
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
<b>जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. ...	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) गेहूँ	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ...		
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	1.4		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	3.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जबलपुर	9.7				
4. मझौली	..				
5. कुण्डमपुर	4.0				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. ...	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) चना, गेहूँ, जौ, मसूर, मटर, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना, गेहूँ, मसूर, मटर अधिक. सोयाबीन, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	0.4				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
<b>जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..		4. (1) मक्का, धान, तुअर, सोयाबीन, कोदों-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शाहपुरा	..				
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांढुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हरई	..				
11. बोलखेड़ा	..				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.—जिला भिण्ड, अशोकनगर, शहडोल, रतलाम, देवास, बड़वानी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(277)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.